



Neutral Citation No. - 2026:AHC:59175

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 7768 वर्ष 2026

राहुल गोंड

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: हरेंद्र यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री हरेंद्र यादव और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री राकेश कुमार मिश्रा की बात सुनी गई और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2. यह जमानत याचिका आवेदक को वाद अपराध संख्या 43/2025, धारा 85, 103(1), 80(2) बी.एन.एस. और धारा 3/4 डी.पी. एक्ट, पुलिस स्टेशन करीमुद्दीनपुर, जिला गाजीपुर के तहत मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे बताया कि आवेदक मृतक का पति है। मृतक ने 17.02.2025 को अपने लगभग 16 महीने के बच्चे के साथ आत्महत्या कर ली। उन्होंने आगे बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी पता चलता है कि मृतक ने आत्महत्या की थी क्योंकि उसके शरीर पर मृत्यु से पहले कोई चोट नहीं पाई गई थी। यह भी बताया गया कि मृतक ने अक्टूबर 2024 में अपना ससुराल छोड़ दिया और अपने माता-पिता के घर चली गई, और वह 04.02.2025 को वापस अपने ससुराल आ गई, और उसके बाद उसने 17.02.2025 को आत्महत्या कर ली। उन्होंने आगे बताया कि 04.02.2017 और 17.02.2025 के बीच ऐसा कोई सबूत नहीं है कि दहेज की मांग के लिए मृतक के साथ किसी प्रकार की क्रूरता की गई हो। इसमें यह भी कहा गया कि गांव वालों संजय राय और रमेश कुमार के बयान से पता चलता है कि उनके बीच कई बार छोटी-मोटी बातों पर झगड़े होते थे, न कि दहेज की मांग को लेकर। उन्होंने आगे कहा कि मृतक की मृत्यु के तुरंत बाद दहेज की मांग के संबंध में किसी भी आरोप के अभाव में, आवेदक के विरुद्ध धारा 118 बी.एस.ए. की धारणा लागू नहीं की जा सकती, और मृतक ने स्वयं छोटे-मोटे विवादों के कारण आत्महत्या की, जो उनके बीच होते रहते थे, क्योंकि आवेदक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। आवेदक एक रिक्शा चालक है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 19.02.2025 से जेल में है। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को ध्यान में रखते हुए, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038)** मामले में दिए गए फैसले के आदेश को ध्यान में रखते हुए, और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

6. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **राहुल गोंड** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, समान राशि के दो जमानतदारों और व्यक्तिगत मुचलके पर जमानत पर रिहा किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे/जांच में पूरी ईमानदारी से सहयोग करेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

8. आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण की पुष्टि संबंधित न्यायालय द्वारा जमानत स्वीकार किए जाने से पहले की जानी चाहिए।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की डाउनलोड की गई प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त की गई हो और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित की गई हो, साथ ही यह वचन भी दिया गया हो कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

10. यह निर्देश दिया जाता है कि अवर न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे, ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति आवेदक को संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के द्वारा भेजे, जो सर्वोच्च न्यायालय के नीतिगत रणनीति संबंधी मामले में जमानत देने के संबंध में दिए गए आदेश के अनुपालन में हो। यह आदेश स्वतः संज्ञान लेते हुए रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 के संबंध में दिनांक 31.01.2023 को दिए गए निर्णय और (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित मामले के अनुसार भेजा जाना चाहिए।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



23 मार्च, 2026

सीएस/-

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”